प्रा०५

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त -सह- विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक- प्र0-11-पथ संधारण (को0)-19-19/2016 05(E) पटना, दिनांक 02/01/17

प्रेषक,

लक्ष्मी नारायण दास,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार।
मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, बिहार।
सभी मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ सहित), प0नि0वि0, बिहार।
सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य पथ अंचल, प0नि0वि0, बिहार।
सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य पथ प्रमंडल, प0नि0वि0, बिहार।

प्रेषण शाखा
कृपया।
02.01.2017

विषय :- **बिहार पथ आस्तियॉ अनुरक्षण नीति 2013 के अधीन निरूपित Lorg Term Output And Performance Based Road Assets Maintenance Contract (OPRMC) पद्धति से संधारित किये जा रहे पथों के संबंध में।**

प्रसंग: विभागीय आदेश सं0-255 दिनांक-10/09/2015 सह-पठित ज्ञापांक-8678 (S) दिनांक-10/09/2015, पत्रांक-1436 (E), दिनांक-25/02/2015 एवं पत्रांक-8703 (S) दिनांक-10/09/2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आप अवगत है कि बिहार पथ आस्तियॉ अनुरक्षण नीति 2013 के अधीन पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले राज्य उच्च पथों (SH) एवं वृहद जिला पथों (MDR) के पथ आस्तियों का कारगर एवं उचित संधारण हेतु विस्तृत दिशानिदेश प्रासंगिक पत्रों द्वारा निर्गत है। स्पष्टत: OPRMC के अन्तर्गत पथों के Carriageway अर्थात पथ क्रष्ट के साथ-साथ Right of Way (ROW) में पड़ने वाले पथ के सभी अवयवों यथा Pavement Surface alongwith Curst & Subgrade, Road Safety, Bridges, Tree Plantations, Foothpath etc. सहित सभी प्रकार के Natural as well as Manmade पथ आस्तायों का संधारण MBD की कंडिका A-4 (Scope of Services) के अनुसार किया जाना संवेदक की पूर्ण जिम्मेवारी है। समीक्षा के क्रम में यह पाया जाता है कि संवेदक द्वारा मुख्य रूप से पथ क्रष्ट (Pavement (Paved Roads) Crust) के संधारण पर ही ध्यान केन्द्रीत किया जाता है एवं Right of Way में पड़ने वाले अन्य पथ आस्तियों के संधारण पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में पथ आस्तियों के संबंध में MBD के प्रावधानों को निम्न रूप में पुन: आपके संज्ञान में लाया जा रहा है:-

1. *Pavements (Paved Roads) along with Crust & Subgrade*
2. *Road Shoulders*
3. *Medians including plantations if any*
4. *Roadside Longitudinal & Cross drainage systems*
5. *Signage and Road Safety Furniture*
6. *Slopes (Cuts & Embankment)*
7. *Bridges and culverts along with guard rail there in*
8. *Protection works in approach to bridges*
9. *Trees and Plantations within ROW*
10. *Any other miscellaneous road assets (Natural or Manmade) within ROW*

क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं उड़नदस्ता दलों से प्राप्त प्रतिवेदनों में पथ क्रष्ट के साथ-साथ Right of Way में पड़ने वाले Road Safety अवयवों के साथ-साथ आवधिक एवं दैनिक अनुरक्षण संबंधी खामियों यथा- सड़क दुर्धटना के फलस्वरूप क्षतिग्रस्त Medians, सेतु के Joints एवं Protection work में झाड़ी, ROW में लगे पेड़ों की टहनियों के गिरने से Drains का भरा होना, शहरी क्षेत्रों में Footpath में Drainage Holes के टुटने के साथ मिट्टी एवं पोलोथीन के कारण सड़क सतही जल निकासी (Suface Drainage) अवरूद्ध होना, को उजागर किया जाता है जिसका त्तक्षण निष्पादन आवश्यक होता है। यदि इसका अनुरक्षण ससमय नहीं किया जाय तो इसका प्रभाव पथ क्रष्ट पर तो पड़ता ही है साथ-साथ Bridge/ Culverts की आयु भी प्रभावित होती है।

विभागीय पत्रांक-8703 (S), दिनांक-10/09/2014 द्वारा भी संवेदक द्वारा पथों के संधारण में Service Level बरकरार रखने हेतु दिशानिदेश निर्गत है। पथ निर्माण विभाग के राज्य उच्च पथों (SH) एवं वृहद जिला पथों (MDR) पर Road Safety मापदंड का अनुपालन एवं Design Specifications के स्तर का सड़क सुरक्षा संबंधित Road Assets का संधारण आवश्यक है। इससे संबंधित प्रावधान MBD की कंडिका C-4.2 में अंकित है:-

C4.2 Signage and Road Safety (Table C4.2.1 – OM500)

The following notes requirements are to be read in conjunction with the Specifications as stated in Section V part C and Table C4.2.1 Further to Table C4.2.1, the following requirements are to be addressed by the Contractor:

(i) Signs- *Signs consist of all ground (post-mounted) signs located along the roadway and include the following types of signs:*

- *Regulatory Signs*
- *Warning Signs*
- *Direction Signs*
- *Information and Traffic Instruction Signs*
- *Route Markers and Kilometre Markers*
- *Village Name Signs*
- *Hazard Markers*
- *Service and Tourist Signs, except privately funded signs identified by the Employer.*

The Contractor shall ensure that the signs are maintained in good condition at all times and shall wash and clean sign faces, straighten posts, level sign boards, remove posters, tighten bolts and undertake minor repairs.

उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में निदेशित किया जाता है कि OPRMC पथों के संधारण में पथ आस्तियों को सम्यक रूप से संज्ञान में लेते हुए मानकों के अनुरूप संधारण कार्य सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

2/1/17

(लक्ष्मी नारायण दास)

ज्ञापांक:- प्र0-11-पथ संधारण (को0)-19-19/2016 05 (E) दिनांक 02/01/17

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता (अनु0), प0नि0वि0, बिहार/ विशेष पदाधिकारी (या0), प0नि0वि0, बिहार/ अधीक्षण अभियंता-सह- नोडल पदाधिकारी (OPRMC) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/1/17

(लक्ष्मी नारायण दास)

ज्ञापांक:- प्र0-11-पथ संधारण (को0)-19-19/2016 05 (E) **दिनांक** 02/01/17

प्रतिलिपि:- सचिव, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

2/1/17

(लक्ष्मी नारायण दास)

ज्ञापांक:- प्र0-11-पथ संधारण (को0)-19-19/2016 05 (E) **दिनांक** 02/01/17

प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्य (पथ निर्माण विभाग) मंत्री के आप्त सचिव, को सूचनार्थ समर्पित।

2/1/17

(लक्ष्मी नारायण दास)

ज्ञापांक:- प्र0-11-पथ संधारण (को0)-19-19/2016 05 (E) **दिनांक** 02/01/17

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (अनु0), प0नि0वि0, बिहार को विभागीय Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

2/1/17

(लक्ष्मी नारायण दास)